

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक - शिविरा - माध्य/मा. द/बा.प्रो.यो./सी.एस.एस/एफ.डी,आर/2017-18 दिनांक - 12.02.2018

1. निदेशक, संस्कृत शिक्षा,
राजस्थान सरकार
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम / द्वितीय)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 (31.3.18) से बालिका प्रोत्साहन योजना (NSIGSE) समाप्त करने के सन्दर्भ में |

प्रसंग :- मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग, नयी दिल्ली के पत्रांक F.No.7-1/2017-SS दिनांक 11.1.18 के क्रम में |

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग, नयी दिल्ली से प्राप्त पत्र अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 (31.3.18) से बालिका प्रोत्साहन योजना (NSIGSE) समाप्त करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं | पूर्व वर्षों से योजना वर्ष 2017-18 (ऑनलाइन) तक के प्रस्तावों की परिपक्वता पश्चात किये जाने वाले भुगतान की कार्यवाही जारी रखी जायेगा |

पत्र की प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि योजना के तहत सत्र 2013-14 व 2014-15 की समस्त पात्र बालिकाएं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है एवं 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है उन्हें मेचुरिटी भुगतान किया जाना है | अतः उक्त समस्त पात्र बालिकाओं के प्रस्ताव पूर्ण जांच उपरांत निर्धारित 14 कॉलम के संलग्न प्रपत्र में दिए समस्त निर्धारित कॉलम को पूर्ण भरते हुए बैंक खातों एवं आधार कार्ड नंबर सहित MS Excel, Times New Roman, Font size 10 में तैयार कर पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें |

यदि कोई पात्र बालिका योजना से वंचित रह जाती है तो इसकी समस्त ज़िम्मेदारी आपकी होगी |

संलग्न - उपरोक्तानुसार




(नथमल डिडेल)

(आई.ए.एस)

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110115
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप 1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ
3. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों का प्रभावी प्रबोधन करें |
4. अनुभाग अधिकारी, योजना / छात्रवृत्ति / बजट / सिस्टम एनालिस्ट (कंप्यूटर अनुभाग) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
5. समस्त प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक राउमावि / रामावी को अपने विद्यालय की पात्र बालिकाओं की सूची अविलम्ब सम्बंधित ज़ि.शि.अ कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया जाता है |



www.rajteachers.com उपनिदेशक (माध्यमिक)

Department of Secondary Education, Rajasthan, Bikaner (Secondary Section) E-

Mail-ad.secondary.dse@rajasthan.gov.in / secondarydd@gmail.com

